Order Sheet
(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

<u>न्यायालयः- न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगंज, जिला बारां (राज.)</u>

<u>पीठासीन अधिकारी- श्री लोकेन्द्र चौधरी, आर.जे.एस.</u>

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्याः- 87/2024 (CNR No. RJBR130002152024)

सरकार बनाम राधेश्याम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1 नियमित फौजदारी प्रकरण संख्याः- 87/2024 (CNR No. RJBR130002152024) सरकार बनाम राधेश्याम	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.04.2026	सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। **अभियुक्त राधेश्याम पुत्र चौथमल, उम्र 40 वर्ष, निवासी- कुंदा, थाना भँवरगढ़, जिला बारां (राज.)** को **पुलिस थाना भँवरगढ़** ने गिरफ्तारी वारंट की पालना में गिरफ्तार कर पेश किया। अभियुक्त को जे.सी. में लिया गया। बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को **धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम** का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप सुन-समझकर स्वीकार किया। अभियुक्त ने स्वेच्छा से जर्ये अधिवक्ता एक जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रकरण का निस्तारण कराने बाबत् पेश किया, जिस पर साक्ष्य अभियोजन बन्द की गई। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया की गई जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा **19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम** के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। सजा के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त गरीब व्यक्ति है। उसका यह प्रथम अपराध है तथा पूर्व दोषसिद्धि बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया गया है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा विरोध करते हुए उचित दण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया। उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आता है कि अभियुक्त गरीब है, उसने लोक अदालत की भावना से स्वेच्छया जुर्म स्वीकार किया है। अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त को पूर्व में किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं करने एवं परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिए जाने के संबंध में कथन किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को तुरंत कारावास के दण्ड से दण्डित करने के बजाए **अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4(1)** के तहत सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ना एवं अभियोजन व्यय अधिरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। **<u>-आदेश-</u>** परिणामस्वरूप **अभियुक्त राधेश्याम पुत्र चौथमल, उम्र 40 वर्ष, निवासी- कुंदा, थाना भँवरगढ़, जिला बारां (राज.)** को अपराध अंतर्गत **धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम** के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने के उपरांत आदेश दिया जाता है कि यदि	

Order Sheet

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2 नियमित फौजदारी प्रकरण संख्याः- 87/2024 (CNR No. RJBR130002152024) सरकार बनाम राधेश्याम	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अभियुक्त **अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4(1) के तहत 06 माह की अवधि हेतु 5,000/- रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका** इन शर्तों के साथ पेश कर तस्दीक करा दे कि वह उक्त अवधि में सदाचारी रहेगा परिशांति बनाए रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा एवं बंधनामा की शर्तों का उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा सजा भुगतने हेतु तलब करने पर तुरंत न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा, तो उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे। साथ ही अभियुक्त पर **परिवीक्षा अधिनियम की धारा 05 के तहत 250/- रूपये अभियोजन व्यय** अधिरोपित किया जाता है। साथ ही अभियुक्त को पूर्व में किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं करने एवं परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिए जाने के संबंध में शपथ पत्र पेश किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा अवैध शाराब का बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण कर दिया जावे। मुताबिक आदेश अभियुक्त की ओर से प्रथम अपराध का शपथ-पत्र पेश किया और परिवीक्षा बाबत **जमानत मुचलके** पेश किए, जो बाद जाँच तस्दीक किये गए। अभियुक्त ने **अभियोजन व्यय की राशि 250/- रूपये जरिये ऑनलाईन जी.आर.एन. नंबर 9414572245 दिनाँक 06.04.2026** को जमा करवाई। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। **(लोकेन्द्र चौधरी)** **न्यायिक मजिस्ट्रेट,** **किशनगंज, जिला बारां (राज.)**	